2020/00215

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री जयन्तीलाल पुत्र श्री केशरीमल जैन
जाति जैन
निवासी रोहिड़ा तहसील पिण्डवाड़ा
जिला सिरोही हाल मुम्बई।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपतहसीलदार भावरी

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 17 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार भावरी को दिनॉक 27.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत रोहिड़ा ने पत्र क्रं. 181 दिनांक 20.02.2014 द्वारा श्री महेन्द्र पुत्र भीखालाल जोशी, निवासी रोहिड़ा एवं अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को रोहिडा में बिना सक्षम अनुमति के अवैध बजरी खनन जिसकी जांच पटवारी रोहिडा द्वारा प्रस्तुत की गई थी उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपी से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार भावरी को दिनॉक 27.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत रोहिड़ा ने पत्र क्रं. 181 दिनांक 20.02.2014 द्वारा श्री महेन्द्र पुत्र भीखालाल जोशी, निवासी रोहिड़ा एवं अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को रोहिडा में बिना सक्षम अनुमति के अवैध बजरी खनन जिसकी जांच पटवारी रोहिडा द्वारा प्रस्तुत की गई थी उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार भावरी को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल [illegible] उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं है तो स्पेसीफिक [illegible] पारित कर अपीलांट सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	235-36 13/8/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner